

17.9 पत्रावली पेश। वकील वादी द्वारा कार्य  
पत्रावली दिनांक 18/10/21 को पेश हो।

18.10/21 पत्रावली पेश। वकील वादी द्वारा अन्वय अवकाश संवत्  
9-12-21 को पेश हो।

<p>23/11/21</p> <p>9-12-21</p>	<p>पत्रावली पेश है। पत्रावली द्वारा कार्य समाप्त है। वादी द्वारा कार्य न करके, दोरे पर कार्य से जनरल वकील पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 23/11/21 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश। अन्वय स्टेट प्राप्त। पत्रावली कलम हेतु दि. 9-12-21 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश। कलम दावा सुनी गयी। वाद अनुसार वादी ग्राम खेड़ापहाड़पुर के खाता सं. 45 सहखेतदार हैं। वाद अनुसार अमृत खाता का ख.नं. 217 (5.72 हे.) वन्दोवरत पूर्व ख.नं. 162/1 (22.12 बीघा) रहा है। वाद अनुसार ख.नं. 162/1 (22.12 बीघा) चम्कंडी सम्वत् 2003-22 अनुसार ख.नं. 305, 316, 342, 346, 352, 353, 355, 356 व 358 से बना है। वादी पश्चिम गत भूमि पूर्वज भूर्या पुत्र ईश्वर की खातेदारी के आधार पर भू-पकंठा विभाग द्वारा ख.नं. 218 (1.3 हे.) गौ.मुं रास्ता कायमी की रिकार्ड व मौका अनुसार नहीं होने तथा विधि विपरीत रास्ता दर्ज की गई निरस्त करवाने चाहता है। अन्वय स्टेट अनुसार ख.नं. 218 साविक ख.नं. 163 गौ.मुं रास्ते से बना है तथा नजरी नमूना अनुसार ABCD दर्जित स्थान पर कंडा का प्लॉट व DE कंडा स्थान पर कंडा के अलावा से पश्चिम गत भूमि वादी के पूर्वजों की खातेदारी रहना साबित होता है। अतः वकीलदार सिफारिश की आदेशित किया जावा है कि चम्कंडी सम्वत् 2003-22 के समय वादीगण की खातेदारी के अनुसार, भू-पकंठा विभाग द्वारा मौके के विपरीत कायम किये रास्ते (नजरी नमूना में ABCD दर्जित) का, खुदशाही खातेदारी अनुसार गौ.मुं रास्ते से खातेदारी दर्ज करें। मुझे अन्वय स्टेट प्रीविय का भाग रहेगा। मुवाकिल आदेश। इन्हीं व तथैर जारी होकर पत्रावली फंसेल शुमार हो।</p> <p>..... 02/11/2021</p> <p>..... 02/11/2021</p>
--------------------------------	--

वही दिनांक 9-12-21

..... 02/11/2021

..... 02/11/2021

..... 02/11/2021